

हरिजनसेवक

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक : भगवान्नभावी प्रभुवास देसाई

दो आना

भाग १७

अंक ३५

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभावी देसाई
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ३१ अक्टूबर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

साम्ययोगकी व्यापक दृष्टि

[भागलपुर जिले के मंदार विद्यापीठ पड़ाव पर दिये हुए प्रवचन से]

यिस सांस्कृतिक केंद्रमें आज हम भूमि-दान यज्ञके मूल विचारका मंथन आपके सामने रखेंगे।

वर्तमान विचार-प्रवाह

यिस मूल विचारका नाम हमने 'साम्ययोग' रखा है। यिस साम्ययोगके आधार पर सर्वोदय-समाजका निर्माण हम करना चाहते हैं। सर्वोदय-समाज बहुसंख्याका नहीं, सारे समाजका हित चाहता है। आप जानते हैं कि आज दुनियामें जो विचार-प्रवाह चल रहे हैं, असमें अेक तो पूंजीवादका है, जो पुराना विचार है। असका दावा है कि हम समाजमें क्षमता पैदा करना चाहते हैं। दूसरा लोकशाही समाजवादका है। और तीसरा सामूहिकवादका है। साम्यवादका दावा है कि हम सबको समान भावसे जीवनकी सब चीजें देना चाहते हैं।

पूंजीवाद

दुनियामें प्रचलित यिन तीनों विचारोंमें से हम पहले पूंजीवादको लें। पूंजीवाद क्षमताका हासी है। वह कहता है, कुछ लोगोंकी योग्यता कम है, यिसलिये अन्हें कम मिलना चाहिये। कुछ लोगोंकी योग्यता ज्यादा है, यिसलिये अन्हें ज्यादा मिलना चाहिये। वह योग्यताके अनुसार पारिश्रमिक देकर समाजमें क्षमता लाना चाहता है। असमें कुछ लोगोंका जीवन और स्तर तक चला गया है। लेकिन बहुत सारे लोगोंका जीवन बिलकुल खालीमें घिर गया है। पूंजीवादके पास यिसका कोई यिलाज नहीं है। असका तो साफ कहना है कि जो नालायक हैं, उनके लिये यिसके सिवा कि वे नालायक बने रहें और कोई मार्ग नहीं, और जो लायक हैं वे दुनियाके सुख-साधनोंसे लाभ अुठावें, यह अनिवार्य है।

यिस वास्ते दुनिया दुखी है, और यिसलिये पूंजीवादके समर्थक भी कम हैं। फिर भी वह चल रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल वह टूटनेवाला है।

लोकशाही समाजवाद

लोकशाहीमें बोटके बल पर काम चलता है। असमें अल्प-संख्याकी रक्षा नहीं होती, बहुसंख्याकी होती है। लोकशाही समाजवादका कहना है कि असमें सबकी रक्षा हो सकती है। परंतु लोकशाहीके कारण जो बुरायियां निर्माण होती हैं, अनेको दुरुस्त करनेका यिलाज संमाजवादके पास नहीं है। जब तक बहुसंख्याकी रायसे ही अल्पसंख्यकोंके हितकी रक्षा करनेकी कोशिश की जायगी, तब तक पूरा समाजवाद नहीं आ सकता।

साम्यवाद

अब रहा कम्यूनिज्म, जो कहता है कि आजके और वर्गोंके खत्तम किये वर्गेर समता नहीं आ सकती। वर्ग-संघर्षके विना और

जिनके हाथमें सत्ता है अन्हें खत्तम किये बिना चारा नहीं है। अतनी हिसा लाजमी है और धर्म-रूप है।

जाहिर है कि यिस विचारसे भी दुनियामें शांति नहीं होगी, क्योंकि हिसामें से प्रतिरक्षित ही निर्माण होती है। यितना ही नहीं, असके कारण मनुष्यताका मूल्य घट जाता है, मनुष्यताकी प्रतिष्ठा घट जाती है।

साम्ययोग

लेकिन साम्ययोगका मानना है कि इराबेक मानवमें एक ही आत्मा समान रूपसे है। साम्ययोग मनुष्य मनुष्यमें भेद नहीं करता। वह तो मानव-आत्मा और प्राणीमात्रकी आत्मामें भी बुनियादी भेद नहीं मानता।

साम्यवाद और साम्ययोगमें जो फर्क है, वह यही कि साम्यवाद आत्माकी अंकताको नहीं मानता, साम्ययोग मानता है। और मानता है यितना ही नहीं, बल्कि असके आधार पर गहराईमें जाना चाहता है। यिसलिये नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रोंमें यिसके कान्तिकारी परिणाम होते हैं।

साम्ययोग और द्रस्टीशिप

आज तक लोग अपनेको सम्पत्तिके सालिक मानते आये हैं। असमें हित-विरोध निर्माण होता है। परंतु जहां द्रस्टीशिपका विचार आता है, वहां पूरी वैचारिक कान्ति होती है। यानी अपनी-अपनी चीजों पर हम जो अपनी मालिकियत मानते हैं, वह गलत है। हमारे पास जितनी भी शक्तियां हैं, समाजकी सेवाके लिये हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ साधनेके लिये नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ तो अपने स्वार्थको समाजके चरणोंमें समर्पित कर देनेमें ही है। सारे समाजको अपना स्वार्थ अर्पण कर देना और समाजके हितके लिये सतत प्रयत्न करना, यही मेरा स्वार्थ है। यह है नैतिक विशेषता, जो साम्ययोगमें से निर्माण होती है।

साम्ययोगकी अर्थनीति

साम्ययोगके कारण आर्थिक क्षेत्रमें भी किस प्रकार कांति होती है, यह हम देखेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तिभर समाजका पूरा काम करता है, तो वह रोजीका हकदार हो जाता है। अेक आदमी जो बिना आंखका है, अपनी यिस कमीके बावजूद असमें जो कुछ बनता है पूरी शक्तिसे करता है, तो वह खानेका हकदार है। आंखवालेकी अपेक्षा असकी सेवाकी मात्रा कम हो सकती है, लेकिन कम-ज्यादा शक्तिके अनुसार पोषणमें कम-वेश देनेकी कल्पना गलत है। पोषण भौतिक वस्तु है, सेवा नैतिक वस्तु है। नैतिक वस्तुकी कीमत भौतिक वस्तुमें हो नहीं सकती। पुत्रने माताको जो कुछ दिया, विद्यार्थीने गुरुको जो कुछ दिया, किसानने समाजको जो कुछ दिया, असकी कीमत नहीं हो सकती।

नैतिक मूल्योंके समान आर्थिक क्षेत्रमें भी श्रमका मूल्य समान होना चाहिये। आज यिसका बिलकुल अलटा होता है। बल्कि

होता यह है कि शारीरिक कामकी अपेक्षा बौद्धिक कामकी मजदूरी ज्यादा दी जाती है। अुसकी प्रतिष्ठा भी ज्यादा होती है। लेकिन विस तरहका फर्क बिलकुल बुनियाद है। चूंकि साम्ययोगका विचार आत्माकी समानता पर निर्भर है, विसलिये आर्थिक क्षेत्रमें भी वह कोई भेद स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, व्यक्ति-भेद और शक्ति-भेदके अनुसार सेवा-भेद भले ही हो, लेकिन चिंता सबकी समान होनी चाहिये। हरअेक अुंगली कम-बेश काम देती है, परंतु वे हैं सब समान। अेकसे जो काम होता है, वह दूसरीसे नहीं होता। विसी तरह समझना चाहिये कि समाजमें हरअेककी सेवाका प्रकार भिन्न हो सकता है, परंतु अुसका आर्थिक मूल्य समान ही होना चाहिये।

हमने देखा कि साम्ययोगके सिद्धान्तके अनुसार जब नैतिक मूल्योंमें फर्क नहीं होता है, तो आर्थिक क्षेत्रमें भी फर्क नहीं होना चाहिये। हरअेकको विकासका पूर्ण भौतिक मिलना चाहिये। विद्यार्थी तालीम ग्रहण करें अपनी ग्रहणशक्तिके अनुसार। परंतु यह नहीं हो सकता कि फलाना लड़का गरीबका है विसलिये अुसकी तालीमका प्रबंध नहीं है और फलाना श्रीमानका है विसलिये अुसकी तालीमका प्रबंध है। अगर विस तरह हम समान मूल्य नहीं रखेंगे, तो सबका विकास नहीं हो सकेगा। मजदूरीका परिमाण कम-बेश होनेसे विकास गलत तरीकेसे होगा, और दूसरे क्षेत्रोंका नाहक आकर्षण होगा, जैसा कि आज हो रहा है। समान वैतनसे यह वृत्ति रुकेगी।

साम्ययोग और विकेन्द्रीकरण

विस विचारका आर्थिक क्षेत्रमें यह नतीजा आयेगा कि गांव-गांव संपूर्ण स्वावलंबी बनेंगे। अनाज, कपड़ा, धी, दूध आदि प्राथमिक आवश्यकताओंकी सभी चीजें हर गांवमें पैदा होंगी और गांव स्वयंपूर्ण बनेगा। बुनियादी चीजोंकी पूर्ति देहातोंमें ही होनी चाहिये। भगवान्ने सबको परिपूर्ण बनाया है। अकल और ताकत कम-बेश होती है, परंतु भगवान्नकी योजना जितनी विकेंद्रित है कि सबका विकास हो सकता है। वैसी ही विकेंद्रित योजना हम आर्थिक क्षेत्रमें भी चाहते हैं। आर्थिक क्षेत्रमें अगर समता नहीं होगी, तो अूच्चनीचका भेद बढ़ेगा, परावलंबन पैदा होगा, अेक आत्मा दूसरी आत्माकी गुलाम बनेगी। विसलिये हम विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था चाहते हैं।

साम्ययोगकी राजनीति और समाजनीति

विसी तरह राजनीतिक क्षेत्रमें भी हमारे आजके मूल्य बदल जायेंगे। हम न सिर्फ शोषण-हीन बल्कि शासन-हीन समाजरचना चाहते हैं। साम्ययोगकी कल्पनाके अनुसार शासन गांव-गांवमें बंट जायगा। यानी गांव-गांवमें अपनी राज होगा, मुख्य केंद्रमें नाम-मानके लिये सत्ता रहेगी। विस तरह होते-होते शासन-रहित समाज बन जायेगा।

सामाजिक क्षेत्रमें भी जाति-भेद या अूच्चनीचका भाव नहीं रहेगा। अगर किसीमें आह्वाणका गुण है, तो अुसे तबनुकूल काम दिखा जा सकता है। लेकिन अुसके कारण दूसरोंसे अुसे अूच्च माननेका कारण नहीं है। अुसी तरह मेहतर, चमार आदि भी नीच नहीं समझे जा सकते। अनुके बिना भी समाजका काम नहीं चलता।

बुनियादी क्रान्तिका विचार

विस सरह नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सूत्रोंमें साम्ययोग परिवर्तन लाना चाहता है। विसीको क्रान्ति कहते हैं। आजकल हिंसाको ही क्रान्ति समझते हैं। परंतु जहाँ बुनियादी चीजोंमें क्रान्ति नहीं होती, वहाँ अूपर-अूपरके परिवर्तनको क्रान्ति कहता

गलत होगा। क्रान्ति तभी होती है, जब हम अपने नैतिक जीवनमें परिवर्तन करते हैं। हमारा दावा है कि साम्ययोग नैतिक मूल्योंमें परिवर्तन करता है, क्योंकि अुसकी बुनियाद आध्यात्मिक है और वह जीवनकी सारी शाखा-शुपश्शाखाओंमें आमूलाग्र क्रान्ति करता है।

साम्ययोगकी व्यापक दृष्टि

भावियो! यह भूदान तो अेक पञ्चवर है। आरंभमें विचारको समझनेके बास्ते मोह-ममतासे मुक्त होनेका यह विचार है। लेकिन मुक्त हों कैसे? तो शुल्क करना है जमीनकी मालिकियतसे मुक्ति पानेके कामसे। अन्तमें हमारी कल्पना तो यह है कि गांवकी जितनी भूमि है, वह सब गांववालोंकी है। और आगे जाकर तो हम कहेंगे कि प्रांतमें अगर भूमि कम है और लोग ज्यादा हैं, तो विस प्रान्तके लोग अुस प्रान्तमें जाकर वस सकते हैं। और विसी तरह विस देशमें से दूसरे देशमें भी जा सकने चाहिये। पृथ्वी माता सारीकी सारी पूर्ण, मुक्त है। जो जहाँ रहना चाहे रह सके। जो जहाँ सेवा करना चाहे कर सके। विस तरह हम दुनियाके नागरिक बनना चाहते हैं। और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भेद नहीं रखना चाहते। जमीन थोड़ी हो, वहुत छोटी हो या बड़ी हो, सब परमेश्वरकी देन है। हम अुसके मालिक नहीं बन सकते। हिन्दुस्तानके लोग हिन्दुस्तानके मालिक, जर्मनीके लोग जर्मनीके मालिक, यह विचार ही गलत है। जितनी भी हवा है, जितना भी पानी है, जितनी भी रोशनी है और जितनी भी धरती है, वह सारीकी सारी सबकी है। यह है हमारी साम्ययोगकी व्यापक दृष्टि।

विनोबा

गरीबी और बेकारी

हमारे देशका नेतृत्व करनेवाले लोग यह समझते हैं कि गरीबी और बेकारी हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्यायें हैं। अगर गरीबी दूर हो जाय, तो हमारी कंवी समस्यायें अपने आप हल हो जायंगी और दूसरी कंवी समस्यायें काफी आसान बन जायंगी। विस लेखमें हम जिन समस्याओंका गहरा वैज्ञानिक वृद्ध्ययन करके कुछ सूचित परिणामों पर पहुंचना चाहते हैं।

बेकार आदमी हम अुसे कहेंगे, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये पैसा नहीं होता और जो यह पैसा पानेके लिये नीकरी या काम चाहता है। लेकिन जिस आदमीके पास अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये काफी पैसा होता है, वह भले कोई काम न करे, अुसे बेकार नहीं कहा जाता। विसलिये मुख्य वस्तु है मानवकी जरूरतोंकी पूर्ति, और गरीबी पैदा होती है जिन जरूरतोंके पूरे न होनेसे। पैसा जिन जरूरतोंको पूरा करनेका साधनमात्र है। मनुष्यकी जरूरतोंकी पूरी करनेके लिये भोजन, वस्त्र और मकानसे — गेहूं, चावल, दूध, लोहा, चूना वगैरासे पूरी होती है। पैसा, भोजन, वस्त्र या मकानके रूपमें काममें नहीं लिया जाता; वह विस तस्वीरमें अलग-अलग आदमियों द्वारा तैयार की हुड़ी चीजोंके विनियमके रूपमें ही आता है।

भीजूदा औद्योगिक पद्धतिका मूल आधार मानवकी भौतिक जरूरतोंका क्रमशः बढ़ते जाना है। पूर्जीपति अुन्हें पूरा करते रहते हैं और अपनी दौलत तथा शक्ति बढ़ाते रहते हैं। आदमी अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये बेहत और काम करता है, लेकिन औद्योगिक रचना अुन्हें पूरा करनेके लिये नहीं, बल्कि अुन्हें पैदा करनेके लिये काम करती है। विस तरह औद्योगिक पद्धति लोगोंके हितके स्थिरांक काम करती है, जो आज हमारे जीवनके लंगभंग हर क्षेत्रमें दिखाती देता है और जो हमारे

देशमें दिनोंदिन बढ़ रही गरीबी और बेकारीके लिये बहुत हद तक जिम्मेदार है।

जो चीज जरूरतें पैदा करती है, वह गरीबीको जन्म देती है; और जो चीज जरूरतोंको मिटाती है, वह गरीबीको दूर करती है। अब शरीरके लिये जरूरी है, और जो आदमी अपने नहीं खरीद सकता वह गरीब है। लेकिन अगर आदमी अपने विना रह सके, तो अनेका न मिलना गरीबी पैदा नहीं करेगा।

हम यहाँ कुछ आधुनिक औद्योगिक पद्धतिकी चीजोंके अपयोगसे होनेवाले आर्थिक परिणामोंकी तुलना कुछ कुदरती चीजोंके अपयोगसे पैदा होनेवाले आर्थिक परिणामोंके साथ करके यिस बड़े महत्वके सिद्धान्तको समझानेकी कोशिश करेंगे।

मनुष्य अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये मेहनत-भशक्त करता है; लेकिन आजकल पैसा खर्च करने पर आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं बल्कि बढ़ती हैं। अद्वाहरणके लिये, अक आदमी मोटरकार खरीदनेमें १५ हजार रुपये खर्च करता है, जो यिस जमानेकी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यह कार अुसकी कोओ बुनियादी जरूरत पूरी नहीं करती, बल्कि अुसकी जरूरतोंको बढ़ाती है। अब अुसे टायर, ट्यूब, पेट्रोल और तेल, ड्राइविंगर, क्लीनर, मोटर-गैरेज वार्गराकी जरूरत होती है। कुछ समय बाद अुसकी मरम्मतके लिये शुरू होते हैं और बढ़ने लगते हैं। अब अगर अुसके पास पेट्रोल खरीदनेको पैसे नहीं होते, तो वह अपनेको बहुत गरीब मानता है। जिस आदमीके पास कार नहीं है, उसे पेट्रोलके लिये पैसेकी जरूरत नहीं होती। हमारा यह मतलब नहीं कि कार बेकार चीज है, लेकिन अितना हम जरूर कहेंगे कि जो लोग कार रखते हैं, अनुमें से अधिकतर लोगों पर वह भयंकर बोझ ही होती है।

सिगरेट और चाय दो और आधुनिक युगकी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सिगरेट और चाय पीना आजकल कुलीनता और बड़प्पनकी निशानी माना जाता है। लेकिन यिन दोनोंके जरिये कोओ मानव जरूरत पूरी नहीं होती; बुलटे वे शरीरको भारी नुकसान पहुंचाती हैं। यिस प्रकार लोग यिन पर पैसा खर्च करते हैं और फिर अनुसे होनेवाली बीमारियोंके अिलाजमें और ज्यादा पैसा खर्च करते हैं।

अब हम दूध और शहद जैसी कुदरती चीजों, जो युगोंसे मानव समृद्धि और अनुत्तिका आधार मानी जाती रही है, के अपयोगके आर्थिक परिणामोंका विचार करें। गाय-भेंस हमें दूध और दूधसे बनी अन्य चीजें देती हैं। दूध पूरी सन्तुलित खुराक है, और आदमी केवल दूध पीकर पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। हमारे भोजनमें अुसकी कमी ही क्षय, अंधेपन, दांतोंके विगड़ने और हमारी दूसरी कजी बीमारियोंका बहुत बड़ा कारण है।

दूध, अुससे बनी चीजों और गायके कुछ लाभ यहाँ दिये जाते हैं:

१. ये चीजें पाचनक्रियासे सम्बन्ध रखनेवाले अवयवोंको पूर्ण स्वस्थ रखती हैं और हम जो भोजन लेते हैं, अुसमें से शरीर पूरा पोषण प्राप्त कर सकता है। यिसलिये कम अनुसे हमारा काम चल जाता है।

२. बीमारियोंके अिलाजमें कोओ पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि शरीर पूर्ण स्वस्थ हालतमें रहता है।

३. गाय धास और खली खाती है और अनुहृत दूध और धीके रूपमें बदल देती है। गोबर बहुत कीमती खाद है और हमारी आजकी कमी यिस खादके अभावका सीधा नतीजा है।

आज गेहूंका औसत अनुपादन प्रति अकड़ १२ मन है, जो गोबरकी मददसे आसानीसे दुगुना किया जा सकता है।

४. गाय हमें बैल देती है, जो खेतमें हल चलाते हैं; कुओंसे पानी खींचते हैं और बोझा देते हैं।

५. गायको अेक ही वार सरीदाना पड़ता है, लेकिन वह कभी गायोंको जन्म देती है। यिसकी तुलनामें कार हर ४ या ५ साल बाद खरीदना पड़ती है, वर्ना मरम्मतका खर्च खबू बढ़ जाता है।

६. जब गाय या बैल मरता है, तो अुसके चमड़ेकी जूते-चप्पल वर्गे चीजें बनती हैं और हड्डियाँ कीमती खादका काम देती हैं।

अब शहदको लीजिये। शहद प्रकृतिकी सबसे पूर्ण मिठाओ है। भारतीय युगोंसे अुसे अमृत मानते आये हैं। खुराकके रूपमें वह कितना कीमती है और स्वास्थ्यको अुससे कितने लाभ होते हैं, यह सारी दुनिया जानती है।

जो मधुमक्खियां शहद पैदा करती हैं, वे दूसरी कीमती सेवा भी करती हैं। वे अक फूलसे दूसरे फूल तक अनुपादक तत्व ले जानेका काम करती हैं। यह अेक वैज्ञानिक सत्य है कि मधु-मक्खियां यिस तरह दुनियाकी खेतों और बगीचोंकी ९० प्रतिशत फसलें पैदा करनेमें सहायक होती हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है कि भारत जैसे खेती-प्रधान देशमें मधुमक्खियोंकी भयंकर कमी है।

केनाडा हर साल ३ करोड़ ६० लाख पौंड शहद पैदा करता है। लेकिन भारतमें करोड़ों रूपयेका शहद धूप और हवामें सूख जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शहद अिकट्ठा करनेवाले मधुमक्खी-पालक हैं ही नहीं। और लाखों छत्ते शहद अिकट्ठा करनेके अवैज्ञानिक तरीकोंके कारण नष्ट हो जाते हैं। विदेशोंमें मधुमक्खी-पालनको केवल अिसीलिये ज्यादा पसन्दके अद्योगोंमें नहीं माना जाता कि अुससे शहद और मोम मिलता है, हालांकि अिन दोनोंका महत्व तो है ही, बल्कि अिसलिये कि मधुमक्खियां अेक फूलका पराग दूसरे फूल तक पहुंचाकर अनुपादन करी गुना बढ़ानेकी अनिवार्य सेवा करती हैं। मधुमक्खी-पालनसे शहदके रूपमें हमें जो लाभ मिलता है, अुससे कमसे कम १५ गुना ज्यादा लाभ खेती और फल-अनुपादनके अद्योगोंमें होता है। यह बिलकुल सादा गणित है कि भारतीय खेतोंकी आधीसे ज्यादा फसल हम अिसलिये खो देते हैं कि हमारे यहाँ अेक फूलसे दूसरे फूल तक अनुपादक तत्व पहुंचानेवाली मधुमक्खियोंका अभाव है।

अपरकी चर्चा यह बताती है कि दूध, दूधसे बनी चीजें, शहद, गाय और मधुमक्खियां बड़ी तादादमें हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी कर देते हैं और यिस तरह कजी मोर्चों पर गरीबीसे लोहा लेते हैं। हम दिनोंदिन ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने समृद्धि लानेवाले अिन मुख्य तत्वोंकी अपेक्षा की है, और हम भीजूदा औद्योगिक पद्धतिसे बनी चीजोंका अपयोग करने लगे हैं, जो गरीबी पैदा करती हैं।

२५९-५३

(अंग्रेजीसे)

अम० आर० अप्रवाल

अुस पारके पड़ोसी

[पूर्व अफीकाके प्रवासका रोचक वर्णन]

काला कालेलकर

कीमत ३-८-०

डाकखर्च ०-१०-०

त्रिव्युधन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

हरिजनसेवक

३१ अक्टूबर

१९५३

भाषावार प्रान्तरचनाका सार

भाषावार प्रान्तरचनाका सवाल धीरे-धीरे वितना अुग बनता जा रहा है कि यिस विषयमें दरअसल हम क्या चाहते हैं, यिसका हमें अपने मनमें स्पष्ट विचार कर लेना चाहिये। वर्ण अुलटा ही परिणाम आनेका पूरा भय है; और यिस क्षेत्रमें यिस भयका अर्थ है भारतकी अकेताका खतरेमें पड़ना। फिर, यह भय अकारण तो हरिगिज नहीं कहा जा सकता।

भारतमें लाखों-करोड़ों लोगों द्वारा बोली जानेवाली अनेक बड़ी-बड़ी भाषायें हैं। यिसलिये यह स्वाभाविक है कि अुस अुस भाषाके बोलनेवाले लोगोंके प्रदेशका राजकाज, शिक्षा, अदालतें वगैरा अुसी भाषामें चलें — और चलने चाहिये। क्योंकि यिसके बिना आम लोग स्वराज्यका सच्चा आनन्द, नहीं भोग सकते और अुनका पूरा विकास भी नहीं हो सकता। यिसके खिलाफ काम किया जाय, तो स्वराज्यका अर्थ ही क्या रह जाय?

यिस सीधी-सादी बातको सामान्य रूपमें असी भाषामें व्यक्त किया गया कि भाषावार प्रान्तरचनाके आधार पर देशके नक्शेकी पूनर्रचना होनी चाहिये। यिसके पीछे जो सच्चा रहस्य और हेतु था, वह अूपर बताया जा चुका है। और स्वराज्य आनेके बाद भी हेतु सच्चा है। यिसलिये जनतामें से यह पुकार अुठा करती है।

यिस हेतुको ध्यानमें रखकर कांग्रेसने १९२०—२१ से अपना काम शुरू किया। वह प्रजाको पसान्द आया। अुसकी वजहसे लोकमत भी वैसा ही तैयार हुआ और मजबूत बनता गया। यहां तक कि कुछ लोगोंकी भावनामें यिस विचारने जरूरतसे ज्यादा गहरी जड़ें जमा लीं।

लेकिन यिस प्रकार प्रदेशोंकी भाषावार रचना करनेका अर्थ कांग्रेस विधानमें असी नहीं था कि अुस अुस भाषाभाषी प्रदेशके संपूर्ण विस्तारका अके ही प्रान्त बनाया जाय। 'अके भाषा — अके राज्य' यह अुसका नियम नहीं था। यिस चीजको आज साफ-साफ समझ लेनेकी जरूरत है। अुदाहरणके लिये, हिन्दी भाषा-बोलनेवाले विशाल उत्तर भारतमें बिहार, युक्त प्रान्त, दिल्ली, पंजाब वगैरा अनेक प्रान्त थे। मराठी बोलनेवाले प्रदेशमें महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्यप्रान्त (मराठी) जैसे विभाग थे। दूसरी तरफ, शासन-प्रबन्धकी दृष्टिसे अके ही सी० पी० में महाकोशल, विदर्भ और सी० पी० (मराठी) ये तीनों प्रदेश थे। भूमधी शहर अके अलग प्रान्त था, और भूमधी प्रान्तमें तीन अलग-अलग कांग्रेसी प्रान्त थे। गुजरातमें सौराष्ट्र-कच्छका प्रदेश था। कहनेका मतलब यह है कि कांग्रेसी प्रान्तरचना जो भाषावार कहलाती थी, अुसका यह अर्थ नहीं था कि अके भाषाभाषी विभाग शासनकी दृष्टिसे भी पूरा अके प्रान्त ही होता था। भाषावार प्रान्तरचनाका सार शुरूमें बताया गया वही था। और अुस सार तत्वको सिद्ध करनेके लिये जहां भाषावार विभाग करने जैसे लगे (जैसे कि मध्यप्रान्त — सी० पी० में), वहां कर दिये गये और कहीं नहीं भी किये; और अुसके बिना भी अूपरके सार तत्वकी रक्षा की। अर्थात् जैसा नहीं माना गया कि अुस सार तत्वकी सिद्धिके लिये भाषावार प्रान्तकी शासनिक जिकाबी भी बनाना ही चाहिये। कांग्रेसने अुसीको अकमात्र सिद्धान्त न माना, जैसा कि आज कुछ लोग अुसका अर्थ करने लगे हैं। यह

ठीक नहीं है। स्वराज्यके आनेसे जो नये-नये विचार और आशायें फूटने लगी हैं, अुनमें से ये नये-नये मनमाने अर्थ और हेतु निकाले जाते हैं। और वे असी होते हैं कि अुनके कारण देशके अलग-अलग प्रदेशोंके बीच, यद्यपि वे अके ही राष्ट्रके अंग हैं, खींचतान, बैरभाव और कड़वाहट पैदा होती है। भाषावार प्रान्तरचनाका जो सार है, अुस पर वर्तमान राज्य अपने आजके रूपमें ही अमल करने लग जायें, तो फिर असी नहीं कहा जा सकता कि अलग-अलग भाषावार राज्य होने ही चाहियें। जैसे कि बम्बाई राज्यमें तीन प्रदेश-भाषायें हैं। अगर अुस अुस भाषाके प्रदेशका राजकाज, शिक्षा वगैरा अुसी भाषामें चलाया जाय तो काम चल सकता है। परन्तु असी करनेमें मुश्किलें खड़ी होती हैं। कुछ लोग अंग्रेजीको ही कायम रखनेकी बात करते हैं। हिन्दी भाषा उत्तर प्रदेशकी ही हर जगह चले, असी संकुचित विचार पैदा हुये हैं। विश्वविद्यालय और सरकारें शिक्षाके क्षेत्रमें भाषा-सम्बन्धी निर्णय नहीं कर पाते। अन सबके कारण और ज्यादा अुलझनें पैदा होती हैं। यिसलिये अभी तुरन्त तो यही किया जाना चाहिये कि देशकी महान भाषाओंको अनुके अधिकारके स्थान पर — यानी राजकाजमें, शिक्षामें, अदालतोंमें — बैठाये जाय। यिससे भाषावार प्रान्तरचनाका सार तत्व अमलमें आता जायगा तथा यह सवाल सरल और साफ होता जायगा कि आर्थिक, भौगोलिक और दूसरी विभिन्न दृष्टियोंसे भारतीय संघकी राजकाजसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रदेशरचना कैसे की जाय।

१४-१०-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाऊ देसाई

पारडीमें भूदान-कार्य

आचार्य कृपलानीजीने मेरे लेख 'आचार्य कृपलानीसे विनती' (हरिजनसेवक, १०-१०-५३) का उत्तर सम्पादकके नाम पत्र लिखकर दिया है। यह पत्र अब तक दैनिक अखबारोंमें निकल चुका है। अुस लेखमें मैंने अुनसे जो प्रार्थना की थी, अुसके प्रकाशनके बाद सावरमतीमें गुजरात भूदान-समितिकी बैठक हुयी और अुसने भी प्रजा-समाजवादी पार्टीसे यही प्रार्थना की कि वह आन्दोलन वापिस लेकर भूदान-कार्यकी सफलताके लिये आवश्यक शान्तिमय बातावरणका निर्माण करे, और अपनी शक्ति भूदान-कार्यमें ही लगाये। समितिने अपने प्रस्तावमें जनताका ध्यान यिस बात पर खींचा है कि भूदान-समस्याके समाधानके लिये सत्याग्रहका सही और अुचित रूप विनोबाजी द्वारा दिखाया हुया भूदानका तरीका ही है। समितिने पारडीकी प्रजा-समाजवादी पार्टीके सदस्योंसे अनुरोध किया है कि वे फिर भूमिदान विकटा करनेके काममें समितिका हाथ बढ़ावें। यह जानकर बहुत खुशी हुयी कि समिति शीघ्र ही अपने कार्यकर्ताओंको पारडी भेज रही है, जहां यिस खेड़-सत्याग्रहके बातावरणमें अुन्हें अपना काम बन्द कर देना पड़ा था। हम अुनके यिस प्रयत्नकी सफलताकी कामना करते हैं। हम आशा करते हैं कि पारडी तालुकेके निवासियोंके विभिन्न वर्गोंमें सद्भावपूर्ण संबंधोंका निर्माण करनेमें, और भूमिहीनोंके लिये काफी भूमि प्राप्त करनेमें अुन्हें कामयादी हासिल होगी।

आचार्यजीने अपने जवाबमें मेरे द्वारा अुठाये गये दो मुद्दों पर अपनी राय बतायी है: पहला मुद्दा यह था कि "पारडी सत्याग्रहके नेता अब अुसे तुरन्त समेट लें। . . . यिसमें प्रजा-समाजवादी पार्टीको अपनी प्रतिष्ठाकी आड़ नहीं लेना चाहिये।" खेद है कि आचार्यजी प्र० स० पार्टीकी स्थानीय शाखाको, अगर सत्याग्रह वापिस लेनेका काम अुसके करनेका था तो, असी सलाह देनेके लिये सहमत नहीं हो सके।

दूसरा मुद्दा यह था कि "जांचकी बात तो अैसी है कि चाहे तो प्रजा-समाजवादी पार्टी खुद ही जांचका काम अपने सत्याग्रह में ले सकती है।" साथं ही मैंने यह भी कहा था कि "अैसी जांच करनी ही हो, तो पहले यह साफ हो जाना चाहिये कि किस बातकी जांच करनी है।"

पहले के बारेमें वे कहते हैं, "आपने मुझे सत्याग्रह स्थगित करनेका आदेश देनेकी सलाह दी है, ताकि समझौतेकी बातचीत शुरू की जा सके। आपको शायद जनतंत्रके अनुसूल पर संघटित पार्टियोंके काम करनेका तरीका नहीं मालूम है, अन्यथा आपने यह सलाह न दी होती। समझौतेकी बातचीत होगी किससे? जिससे बातचीत होना है, वह मैं नहीं बल्कि श्री अशोक मेहता और स्थानीय शाखाके अनुके वे साथी हैं, जिनके नेतृत्वमें सत्याग्रह शुरू हुआ। जहां तक मैं जानता हूँ श्री अशोक मेहता श्री मोरारजी-भाऊसे लगातार पत्रव्यवहार कर रहे हैं, और, जैसा कि वे हमेशा करते आये हैं, जिन बातों पर दोनों पक्ष अेकराय हो सकते हैं, अनुकी लगातार खोज कर रहे हैं। श्री मोरारजीभाऊसे भी आजकी तरह मतभेदों पर जोर न देकर अैसा ही करना चाहिये। अैसा हो तो झगड़ेके सद्भावपूर्वक सुलझानेमें देर नहीं लगेगी। श्री मेहताको आजादे कर दिया जाय और बातचीतके लिये बुलाया जाय, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे खुद अपने साथियों और किसानोंको वर्तमान सत्याग्रह स्थगित करनेकी सलाह देंगे और समस्या सुलझानेमें पूरी मदद करेंगे।"

दूसरे मुद्देके बारेमें वे लिखते हैं, "आपका प्रजा-समाजवादी पार्टीसे अपनी जांच-समिति नियुक्त करनेके लिये कहना सचमुच बहुत अजीब है। जाहिर है कि आपको यह सूझा ही नहीं कि स्थानीय शाखाने सरकारके पास जाने या सत्याग्रह शुरू करनेके पहले यह काम किया ही होगा। आप चाहते हैं कि यह जांच 'शास्त्रीय और निष्पक्ष' होनी चाहिये। कोई जांच शास्त्रीय और निष्पक्ष हो, विसके लिये यह जरूरी है कि अनुसंधानेमें झगड़ेके संबंधित सब पक्षोंके प्रतिनिधि हों। अैसी कमेटी तो संबंधित पार्टियों यानी किसानों तथा जमींदारोंके प्रतिनिधियों और अपनी निष्पक्षताके लिये प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ताओं आदिसे सलाह करके सरकार ही नियुक्त कर सकती है।"

अखबारोंसे मालूम होता है कि प्रजा-समाजवादी पार्टी और किसान-पंचायतने, जिन्होंने कि यह खेड़ सत्याग्रह शुरू किया था, अब अप्से वापिस ले लिया है; और अनुसंधान जगह अंक दूसरा आन्दोलन शुरू होगा, जिसे 'जमींदारोंको भूखों मारो' नाम दिया गया है। अैसी अवस्थामें अपनी पहली सूचना पर अधिक कुछ कहनेकी जरूरत नहीं रह जाती। वितना ही कहता हूँ कि अच्छा होता अगर वापिसी ज्यादा साफ और सुनिश्चित होती और अनुसंधान ज्यादा सुन्दर होता, ताकि गलत रास्ते पर ले जाये गये आदिवासियोंको और ज्यादा तकलीफ न अुठाना पड़ती।

दूसरे मुद्देके बारेमें मैं फिर दुहराता हूँ कि जांच-समिति अपुण्योगी, असरकारक, शास्त्रीय और निष्पक्ष हो, विसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह सरकार द्वारा ही नियुक्त की जाय। अद्वाहरणके लिये, कांग्रेसने 'जलियानवाला बाग', 'पश्चिम डेट' तथा दूसरी कभी जांच-समितियां क्या खुद ही नहीं नियुक्त की थीं? क्या चम्पारनमें गांधीजीने वह जांच, जिसने विहार सरकारको अनुसंधान पर विचार करनेके लिये मजबूर कर दिया, खुद ही नहीं चलायी थी? और क्या वह जांच सरकार तथा जमींदारोंके अनुविरोधके बावजूद नहीं चलायी गयी थी?

विस जांचके सवालके बारेमें आचार्यजी यह भी कहते हैं कि स्थानीय शाखाने "सरकारके पास जाने या सत्याग्रह शुरू करनेके

पहले यह काम किया ही होगा।" मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक मुझे मालूम हुआ है अैसा कुछ नहीं किया गया; और अगर अनुसंधानेमें मिलता-जुलता कुछ किया गया है, तो जनताके समक्ष अनुसंधानेमें विवादायदा तैयार रिपोर्ट रखी नहीं गयी। यह काम अभी भी किया जा सकता है। अनुसंधानेमें भी ज्यादा महस्त्वकी बात यह है कि विस जांचके अद्वेष्य बहुत स्पष्ट और निश्चित हों। मैं अम्मीद करता हूँ कि प्रजा-समाजवादी पार्टी 'जमींदारोंको भूखों मारने' की अपनी नयी मुहिमके जरिये जमींदारों और किसानोंमें द्वेष-भाव बढ़ानेसे बाज आयगी, और जांचका काम खुद अुठायगी तथा अनुसंधान नतीजा सरकार और जनताके सामने रखेगी। जहां तक धासकी जमीन पर अनधिकार प्रवेश करके प्रगट रूपसे कानून भंग करनेका काम बंद कर दिया गया है, वहां तक पार्टीका निर्णय जरूर ठीक हुआ है। हम यह अम्मीद भी करते हैं कि प्रजा-समाजवादी पार्टीके कार्यकर्ता गुजरात भूदान-समितिके प्रस्ताव पर ध्यान देंगे, और पारङ्गीमें अनुसंधानेमें साथ सहयोग करेंगे। अैसा हो तो आशा है कि अैसी परस्तियां निर्माण हो सकेंगी, जिससे सरकार सारी घटना पर अद्वारतापूर्वक विचार कर सके, खासकर अनु आदिवासियोंके मामलों पर सहानुभूतिके साथ सोच सके, जिन्होंने दूसरोंकी गलत सलाहमें पड़कर कानूनका भंग किया और विसलिये जिन पर सरकारको मुकदमे चलाने पड़े। अैसा होगा तो सालके विस मौसममें, जब कि अनुहंस खेतोंमें काम मिलता है, वे अपने काम पर वापिस आ सकेंगे।

२६-१०-'५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाऊ देसाऊ

जमीनकी अूंचीसे अूंची मर्यादा

पंचवर्षीय योजनाने यह विलकुल स्पष्ट कर दिया है कि भारतकी जमीन-सम्बन्धी नीतिका एक बुनियादी सिद्धान्त यह होना चाहिये कि "किसी एक व्यक्तिके पास ज्यादात्मे ज्यादा कितनी जमीन रहनी चाहिये, विसकी सीमा निश्चित कर दी जाय।" कुदरती तीर पर जमीनकी यह अूंचीसे अूंची मर्यादा हरखेके राज्यको अपने भूमि-सम्बन्धी अितिहास और वर्तमान परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर निश्चित करनी होगी। विसलिये योजना-कमीशनने एक केन्द्रीय भूमि-सुधार कमेटी नियुक्त कर दी है, जो विभिन्न राज्योंके मौजूदा जमीनोंकी अूंचीसे अूंची मर्यादा निश्चित करनेके लिये जमीन-सम्बन्धी जरूरी आंकड़े अिकट्ठे करनेमें मदद करेगी। योजना-कमीशनने बड़ी-बड़ी खानगी जमीनोंको दो श्रेणियोंमें भी बांट दिया है: १. वे जमीनें जिनका प्रबन्ध अितने अच्छे ढंगसे होता है कि अनुहंस तोड़नेसे अुत्पादनमें कमी आ सकती है; २. वे जमीनें जो व्यवस्था और अुत्पादनकी आवश्यक कसीटी पर खरी नहीं अुतरती। दूसरी श्रेणीकी जमीनोंके लिये योजना-कमीशनने यह सिफारिश की है कि विभिन्न राज्य-सरकारोंको जलदीसे जलदी भूमि-व्यवस्था कानून बनाने चाहिये।

अ० भा० कांग्रेस कमेटीने भी अपने आगरा अधिवेशनमें यह प्रस्ताव पास किया था कि "खास करके जमीन-सुधारके सम्बन्धमें प्रगतिकी रफ्तार तेज़ की जानी चाहिये।" कांग्रेस कमेटीने "भारतमें दूरगामी भूमि-सुधार दाखिल करनेको" सबसे ज्यादा महत्व दिया था। "यद्यपि कभी राज्य-सरकारोंने विस दिशामें प्रगति की है, फिर भी अपने हाथों जमीन जोतनेवाले किसानोंको जमीनके मालिक बनानेके लिये अभी बहुत कुछ करना बाकी है।" विसलिये अ० भा० कांग्रेस कमेटीने सारी राज्य-सरकारोंसे यह अपील की कि वे जमीन-सम्बन्धी आवश्यक आंकड़े अिकट्ठे करने और जमीनोंकी अूंचीसे अूंची मर्यादा निर्धारित करनेकी दिशामें

तुरन्त कदम बुढ़ावें, ताकि जहां तक संभव हो बेजमीन मजदूरोंमें जमीन बांटी जा सके।

विसलिये यह जानकर हमें बड़ा दुःख होता है कि हालमें हुओ कृषि-मन्त्रियोंके सम्मेलनमें विसके खिलाफ राग अलापा गया। अस सम्मेलनने ऐसा वातावरण पैदा नहीं किया, जिससे राष्ट्रीय योजना और अ० भा० कांग्रेस कमेटीके आगरा-अधिवेशन द्वारा प्रतिपादित जमीन-सम्बन्धी नीतिके अमलमें मदद मिले। यह देखकर हमें आश्चर्य होता है कि भारत-सरकारके कृषि-मन्त्री डॉ० पंजाबराव देशमुखने मौजूदा जमीनोंकी अूचीसे अूची मर्यादा बांधनेके बुनियादी सिद्धान्तका खुला विरोध किया और कहा कि ग्रामीण जीवनमें हस्तक्षेप करनेवाली ऐसी नीतिसे अलटा हमें नुकसान होगा। विसलिये अन्होंने मौजूदा खेतोंकी अच्छतम मर्यादा बांधनेकी नीति छोड़ देनेकी हिमायत की। विभिन्न राज्यों पर यह प्रभाव डालनेके बायां कि जमीनोंकी अूचीसे अूची मर्यादा बांधनेके लिये जमीन-सम्बन्धी आंकड़े अिकट्ठे करनेका काम आगे बढ़ाना आवश्यक है, अन्होंने विस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि केवल दो या तीन राज्य ही जमीनोंकी अच्छतम मर्यादा बांधनेका विरादा रखते हैं।

वेशक, डॉ० पंजाबराव देशमुखको विस विषयमें अपनी यह राय रखनेका अधिकार है। लेकिन यह अनकी निझी राय ही मानी जानी चाहिये, न कि योजना-कमीशन, भारत-सरकार या कांग्रेसकी। विस तरह कृषि-मन्त्रियोंके सम्मेलनके लिये योजना-कमीशन और अ० भा० कांग्रेस कमेटीके निर्णयोंके खिलाफ किसी निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं था। विसलिये असने राष्ट्रीय विकास-कौंसिलके हाथमें यह प्रश्न सौंपकर ठीक ही किया, जिसकी बैठक अक्टूबरके पहले सप्ताहमें नवी दिलीमें हुई।

राष्ट्रीय विकास-कौंसिलकी कार्रवाईकी विस्तृत रिपोर्ट असब्स्युरोमें प्रकाशित नहीं हुई है। हम नहीं जानते कि विस कौंसिलके पास जमीन-सुधारकी समस्याओं पर सावधानीसे विचार करनेका पूरा समय था या नहीं। लेकिन विस विषयमें हमें कोशी शक नहीं कि भारत-सरकार और राज्य-सरकारें भारतमें दूरगमी भूमि-सुधार दाखिल करनेकी बातको पहला स्थान देती रहीं — और अैसे सुधार दाखिल करनेका वे विशेष ध्यान रखेंगी, जिससे जमीन पर मेहनत करनेवाले बेजमीन काशकारोंमें जमीन बांटना संभव हो। यह बिलकुल साफ है कि जब तक मौजूदा जमीनोंकी अूचीसे अूची मर्यादा नहीं बांधी जाती, तब तक फिरसे बंटवारा करनेके लिये काफी जमीन नहीं मिल सकती। केवल भविष्यके खेतोंकी अूचीसे अूची मर्यादा बांधकर सन्तोष करें लेना बेकार है। आजके बड़े-बड़े खेतोंको छुड़े बिना, जिनका विस्तार सैकड़ों या हजारों अेकड़ तक भी है, भविष्यके खेतोंकी मर्यादा बांधना अनिवार्य होगा।

लेकिन हमारा यह मतलब नहीं है कि सौरे राज्योंमें हर तरहकी जमीनके लिये अेकसी अूचीसे अूची मर्यादा तय की जाय। वेशक, अलग-अलग प्रदेशों और अलग-अलग श्रेणीकी जमीनके अनुसार विस मर्यादामें फर्क होगा। हम यह भी नहीं कहते कि शुरूमें यह मर्यादा बहुत नीची बांधी जाय। केवल जमीन-मालिकोंके साथ ही बहुत सख्त बरताव करना ठीक नहीं होगा; राष्ट्रीय जीवनके अन्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रोंमें चल रही भयंकर विषमताओं द्वारा करनेका भी हमें प्रयत्न करना चाहिये। अगर शुरू-शुरूमें जमीनोंकी अूचीसे अूची मर्यादा बांधनेमें थोड़ी अद्वारतासे भी काम लिया जाय, तो हमें कोशी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मौजूदा खेतोंकी कोशी अच्छतम मर्यादा बांधनेसे

बचनेका प्रयत्न बहुत अनुचित होगा। जब हमारे देशमें ४५ लाख बेजमीन खेती-मजदूर हों, तब जमीन-मालिकोंका सैकड़ों और हजारों अेकड़ जमीन दबाये रखना कहां तक अनुचित कहा जायगा? जमीन कुदरतकी देन है; आदमी न अुसे बड़ा सकता, न घटा सकता है। विसलिये आर्थिक असमानताओंकी समस्याको हल करनेके लिये सबसे पहले हमें जमीनके सोर्चें पर ही लड़ाकी छेड़नी होगी। दूसरे सोर्चोंकी असमानताओंको अछूता नहीं रहने दिया जा सकता; जायदाद या दौलतके क्षेत्रमें पापी जानेवाली असमानतायें भी दूर करनी होंगी। १५ अक्टूबरसे अमलमें आनेवाला जायदाद-कर कानून विस दिशामें अुठाया जानेवाला पहला कदम है। विसके बाद अैसे और कदम भी अुठाने होंगे, जिनसे देशमें आर्थिक समानताकी स्थापना हो और अमीर व गरीबके बीच खड़ी मौजूदा दीवाल टूट सके।

जमीनकी अच्छतम मर्यादा निर्धारित करते समय कुछ बातोंका ध्यान रखना चाहिये। ऐसी जमीनोंको विशेष रिआयतें दी जा सकती हैं, जिनमें सहकारी पद्धतिसे खेती होती है। संयुक्त-परिवारकी प्रथाको टूटनेसे बचानेके लिये अकेले परिवारके पास ज्यादासे ज्यादा जितनी जमीन हो सकती है, अससे तिगुनी जमीन संयुक्त-परिवारके पास रहने वी जा सकती है। अूचीसे अूची सीमा बांध देनेके बाद जो जमीन मालिकोंसे ली जाय, असके मुआवजेकी अदायकीका समय २० या ३० बरसका रखा जा सकता है और असके लिये अेक भूमि-कमीशन नियुक्त किया जा सकता है। अच्छतम मर्यादासे अूपरकी जमीनका प्रबन्ध सरकार भी अपने हाथमें ले सकती है और तब मुआवजेका प्रल नहीं नहीं अुठेगा। अस हालतमें, जैसा कि योजना-कमीशनने सुझाया है, राज्य ऐसी जमीनों विशेष करारोंके अनुसार किसानोंको पट्टे पर खेतीके लिये दे सकता है और किसानोंसे कहा जा सकता है कि वे सालाना लगान सरकारी अेजेन्सीके मारफत जमीन-मालिकोंको चुका दिया करें। विस व्यवस्थाके मुताबिक लाखों ग्रामीण मजदूरोंको, मुआवजेके सवाल अुठे बिना, लाखों अेकड़ जमीन बांटी जा सकेगी।

आचार्य विनोद भावेके भूदान-यज्ञ आन्दोलनने देशमें भूमि-सुधारके लिये अनुकूल कानून बनानेका आवश्यक वातावरण पैदा करनेमें भारी मदद पहुंचायी है। सच तो यह है कि आज लोगोंके मन न तिर्फ जमीनकी अूची-से-अूची मर्यादाके लिये ही पूरी तरह तैयार हैं, बल्कि बड़े खेतोंके लिये अल्पतम मर्यादा निर्धारित करानेके लिये भी तैयार हैं। विनोदजीकी यह राय है कि केवल जमीनोंकी अच्छतम मर्यादा बांधनेसे ही बेजमीन किसानोंमें बांटनेके लिये काफी जमीन नहीं मिल जायगी। अनका कहना है कि अब राज्यको बड़े खेतोंकी अल्पतम मर्यादा भी बांध देनी चाहिये। अदाहरणके लिये, राज्यको अैसे हर परिवारके लिये ५ अेकड़ भूमि देनेकी व्यवस्था करनी चाहिये, जो जमीन पर खुद मेहनत करनेके लिये तैयार ही। जमीनकी अच्छतम मर्यादाके प्रश्न पर तभी विचार किया जाय, जब सारे खेती करनेवाले परिवारोंमें फिरसे जमीन बांट देनेके बाद कोशी अतिरिक्त जमीन हमारे पास हो। विस सवका यह मतलब है कि देश अब गहरे और दूर तक पहुंचनेवाले भूमि-सुधारको लिये तैयार है; अब अैसे कानून बनानेमें जरा भी देर करनेके प्रयत्नसे भारतकी सामाजिक और आर्थिक प्रगतिके ध्येयको भारी नुकसान पहुंचेगा।

श्रीमत्तारायण अपदाल

[ता० १५-१०-'५३ के 'आर्थिक समीक्षा' से संक्षिप्त] (अंग्रेजीसे)

हरिजन विश्वनाथजीके दर्शनसे वंचित क्यों रहें?

भारतमें ही नहीं बल्कि संसारमें भी काशी अत्यन्त प्राचीन नगरी है। भारतीय धितिहासमें काशी नगरीका अपना विशिष्ट स्थान है। भारतके विशिष्ट प्रदेशोंमें शायद ही ऐसे कोई संत, महात्मा और भक्त होंगे, जिन्होंने काशी नगरीके श्री बाबा विश्वनाथजीके चरणोंमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पण न की हो। महात्मा कवीरदास और भक्त होंगे, जिन्होंने काशी नगरीके श्री बाबा विश्वनाथजीके चरणोंमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पण न की हो। महात्मा कवीरदास और हरिजनोंके महाभागवत संत श्री रैदासजीकी अुस पावन नगरीमें ही हरिजनोंका विश्वनाथका दर्शन करना शास्त्र-विश्वद्व है औसा कहनेवाले विद्वान् भी रहते हैं।

हम यहां मंदिर-प्रवेशके बारेमें निष्पक्ष बुद्धिसे विचार करें, तो आखिर मंदिर-प्रवेश है क्या? मंदिरमें हम जाते हैं भगवद् दर्शन करनेके लिये। दक्षिण भारतमें मंदिरके दो अंग होते हैं। एक अुसका गर्भद्वार और दूसरा अुसका सभामंडप। भगवान्‌की पूजा करनेके लिये पुजारी भीतर प्रवेश करते हैं और दर्शनार्थी सभामंडपसे दर्शन करते हैं। यह आवश्यक नहीं होता है कि प्रत्येक दर्शनार्थी मूर्तिका स्पर्श करे या अुस पर जल चढ़ाये, फूल चढ़ाये या अुसका भोग लगाये। कहा जाता है कि काशीके कुछ विद्वान् हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशके विरुद्ध जेहाद बोलनेवाले हैं। हम अुनसे नम्रताके साथ यह पूछना चाहते हैं कि जिस मंदिरमें गुलामों द्वारा विजेताके प्रतिनिधियोंको भी विश्वनाथजीके दर्शनके लिये झारोखेकी व्यवस्था की गयी, अुसी मंदिरमें भगवान् विश्वनाथ, भगवान् राम, गंगामाती, सती, सीता-सावित्री, वेद, अुपनिषद्, महाभारत और भारतमें पैदा हुए संतोंको माननेवाला और समय पड़ने पर मंदिरोंके रक्षके लिये प्राणोंकी बाजी लगानेवाला हरिजन श्री विश्वनाथजीके दर्शनसे वंचित रखा जाय, जिससे ज्यादा अंशास्त्रीयता और कृतधनताकी बात और क्या हो सकती है? गोमांस-भक्षक आर्यतरोकी खुशामद करके मंदिरमें ले जानेवाले मंदिरके प्रबंधक आज गोमाताके प्रति वही पूजाभाव, जो ये पंडित रखते हैं, शायद अुतनी ही या संभवतः अुनसे ज्यादा श्रद्धा रखनेवाले हरिजनोंको श्री विश्वनाथजीके दर्शनसे वंचित रखें, यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।

मैं अपने जीवनकी एक घटनाका अल्लेख करना चाहता हूँ। एक समय मैं आश्रममें बैठा हुआ था। चार-पांच सालका एक हरिजन बालक, जो भूला हुआ था, मेरे पास लाया गया। वह रो रहा था। अुसको मैं कड़ी खिलाकर समझाना चाहता था। जितनेमें एक दण्डी संन्यासी आये। अुन्होंने पूछा कि यह बालक कौन है। मैंने कहा कि हरिजन। यह सुनते ही वे रो पड़े। मैंने अुनके रोनेका कारण पूछा। अुन्होंने कहा, यहांसे तीन-चार कोसकी दूरी पर एक गांव है, वहां मैं पांच-सात दिन था। एक दिन एक हरिजन बालक कुछेके पास पानीके लिये दो-तीन घण्टे खड़ा रहा, लेकिन किसीने अुसे पानी नहीं पिलाया। लोग आते थे और घड़े भरकर ले जाते थे। जितनेमें एक फकीर आया। अुसको भी कुछ देर वहां रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद अुसने कुछेसे पानी निकालकर हरिजन बच्चेको पिलाया और अुसे लेकर अुसकी मांके पास जाने लगा। मैं यह सब दूरसे देख रहा था। छिपे छिपे अुनके पीछे गया। वह फकीर घर पर पहुँचा और अुस बच्चेकी मांसे बोला, देखो तुम्हारे बच्चेको किसीने पानी नहीं पिलाया। और भी बहुतसी ब्रातें कहीं। बच्चेकी मां सब सुनती रही। बादमें वह बोली: 'शाह साहब रवुरे हमके सब कुछ दे देव, पर हमार रामजी, गंगामाती कहां मिलि हैं?' वह बंडी संन्यासी यह सुन रहे थे। अुनकी आंखोंमें आंसू आ गये। अुन्होंने मुझसे कहा, 'जो व्यवहार अुस बच्चेके साथ हुआ, वह व्यवहार अगर मेरे बच्चेके साथ हुआ होताहूतों में सहन नहीं कर सकता था। मैं ऐसे समाजका कट्टर

दुश्मन बन जाता। पर अुस वहनकी भक्ति देखकर मैं दंग रह गया। मैंने अपनेको अुससे छोटा पाया।'

क्या ऐसे हरिजनोंको बाबा काशी विश्वनाथके दर्शनसे वंचित रखा जाय?

राधवदास

खान-बन्धु

"लाहोर, १९ अक्टूबर: सीमाप्रान्तके भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉ० खानसाहबने, जो विस वक्त अबीटाबादमें नजरबन्द हैं, हालमें ही कहा था कि प्रान्तके दूसरे बहुतसे नजरबन्दोंकी तरह अुन्हें भी विस 'झूठी दलील पर कि हम राज्यके दुश्मन हैं' देशकी सेवासे वंचित रखा जाता है।

पांच सालसे भी ज्यादा' अरसा हुआ जब डॉ० खानसाहबको नजरबन्द किया गया था। विस लम्बे अर्सेमें अपनी पहली अखबारी मुलाकातमें वे स्थानीय दैनिक 'जिमरोज़' के एक स्तंभ-लेखके सवालोंका जवाब दे रहे थे।

अुन्होंने कहा, यह मान लेना गलत है कि मैं और मेरे पुराने साथी हुकूमतकी जगहों पर बैठनेके लिये लालायित हैं। 'सचावी यह है कि हम बदलेकी आशा किये बिना सरकारको काफी मदद पहुँचा सकते हैं।'

मुल्कका विधान बनानेमें विदेशियोंकी, खास करके ब्रिटिश माहिरोंकी मदद लेनेके लिये अुन्होंने पाकिस्तान सरकारकी टीका की। डॉ० खानसाहब विस वातके खिलाफ नहीं हैं' कि पाकिस्तानके विधानकी रचना इस्लामके सिद्धान्तोंके आधार पर की जाय, क्योंकि अुनकी रायमें जिन सिद्धान्तोंमें समाजवादका अूच्चेसे अूच्चा आदर्श समाया हुआ है। 'लेकिन मुश्किल यह है कि नये या पुराने विचारोंवाले हमारे लोगोंका बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामको पूरी तरह समझता ही नहीं' -- अुन्होंने कहा।

देशकी राष्ट्रभाषाके सवाल पर अुन्होंने कहा: 'यह विवाद हास्यास्पद है। भाषा कोडी भी हो, भले अंग्रेजी ही क्यों न हो, सच्चा ध्येय तो शिक्षा है। बुनियादी तालीम प्रादेशिक भाषाओंमें अच्छेसे अच्छे ढंगसे दी जा सकती है।'

अुनकी रायमें यह बड़ी बदकिस्मतीकी बात है कि कुछ लोग अपने स्वर्थके लिये ये झगड़े खड़े करके लोगोंमें फूट पैदा करते हैं।

डॉ० खानसाहबने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोहम्मदबलीको लोगोंका पूरा समर्थन मिलना चाहिये। 'वे बुत्साही, मेहनती और नीजवान हैं। खुदा करे अुन्हें अपने मिशनमें कामयादी मिले।' पी० टी० आबी०

(२०-१०-'५३ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से)

पांच सालके लम्बे अर्सेके बाद बहादुर खान-बन्धुओंकी आजादी और शांतिकी आवाज सुनकर बड़ी खुशी होती है। लेकिन यह सचमुच बड़े दुःखकी बात है कि दोनों खान-बन्धुओंकी नजरबन्दीके पाकिस्तानी हुक्मके कारण वह आवाज अभी तक खामोश रही गयी है। हम आशा रखें कि पाकिस्तानके प्रधानमंत्री श्री मोहम्मदबली जैसे वक्त जिन बहादुर और देशभक्त नजरबन्दोंको मुक्त करनेका कोडी रास्ता निकालेंगे, जब कि पाकिस्तानके कामकाज और अुसके विधानकी रचनामें जिनके सलाह-मशविरेकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

२४-१०-'५३

(अंग्रेजीसे)

सचानभाभी देसाओ

भावी भारतकी एक तसवीर

फिल्मोरलग्ल भशालवाला

कीमत १-०-१

डाकसर्च ०-४-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१

मध्यम वर्ग

नागपुरसे अेक भाऊी लिखते हें:

“ता० २९-८-५३ के ‘हरिजन’ में छपे आपके ‘बचत और सामाजिक सुरक्षा’ नामक अग्रलेखके लिए मेरा अभिनन्दन स्वीकार कीजिये। वह अुपयोगी है, क्योंकि वह विचारप्रेरक है।

“फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि मध्यम वर्गकी स्थितिके बारेमें और राष्ट्रकी अर्थ-व्यवस्थामें वह वर्ग, जो भाग लेता है, अुसके बारेमें आपने जो बातें कही हैं, वे आज सही नहीं मालूम होतीं। सच पूछा जाय तो जीवन-निवाहिका खर्च भयकर रूपमें बढ़ जानेसे अुसके पास बचतकी कोअी गुंजाइश ही नहीं रहती और वह भुखमरीके किनारे पहुंच गया है। आर्थिक मुसीबतोंके दबावके कारण संयुक्त परिवारकी पुरानी प्रथा तेजीसे टूट रही है और आज मध्यम वर्गका ऐसा कोअी परिवार पाना कठिन है, जो बढ़ती हुअी संख्या और घटती हुअी आमदनीके सामने अपने आमद-खर्चमें सन्तुलन कायम रख सके।

“अिस सामाजिक समस्याका अेक दूसरा पहलू भी है, जो न सिर्फ भारतमें बल्कि अंगलैण्ड और दूसरे देशोंमें भी मध्यम वर्गका कच्चमर निकाल रहा है। विज्ञानकी प्रगति, यंत्रीकरण और धीरे-धीरे मनुष्यका स्थान मशीनके लेनेसे अिस वर्गके रोजी मिलनेके साधन दिनोंदिन घट रहे हैं। अगले दस वरसमें मध्यम वर्गका बहुत थोड़ा हिस्सा हमारे यहां बचा मिलेगा, क्योंकि भारतने आद्योगीकरणकी दिशामें दुनियाके दूसरे राष्ट्रोंके साथ चलनेका फैसला कर लिया है।

“मेरी रायमें मध्यम वर्गके लोगोंके कष्टोंका मूल कारण यह है कि वे यह नहीं महसूस कर पाते कि दरअसल वे निचले सामाजिक स्तरके लोग हैं। अुनकी आदतें, रुचियां और रहन-सहनका ढंग धनी वर्गोंका है, जब कि अुनकी आमदूनी मजदूर वर्गके स्तरकी है—बहुत बार तो अुससे भी नीची होती है। मजदूर वर्ग तो भीख मांगकर भी अपना पेट पाल सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग वह भी नहीं कर सकता। अिसका नीतीजा है नैतिक पतन और बहुत बार आत्मघात। यह मध्यम वर्ग जितनी जलदी अपनेको मजदूर वर्गके साथ पूरी तरह मिलाकर अेक कर लेगा, युतना ही सबका लाभ होगा।”

पत्रलेखकका यह कथन शायद सत्य है कि मध्यम वर्ग आज अूची कीमतों और अुनके फलस्वरूप आम तौर पर बढ़नेवाले जीवन-निवाहिके खर्चके कारण बड़ा दुःखी है। लेकिन खर्चकी बढ़तीका असर सभी लोगों पर पड़ता है, जिसमें गरीब मजदूर वर्ग भी शामिल है। मध्यम वर्गके लिये आमद-खर्चमें सन्तुलन बनाये रखना खास करके अिसलिये कठिन होता है कि मजदूर वर्गकी तुलनामें मध्यम वर्गके परिवारोंमें आम तौर पर सब बालिग सदस्य आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक काम नहीं करते; केवल अेक या दो सदस्य कमाते हैं और वाकीके अुन पर निर्भर करते हैं।

और, जैसा कि पत्रलेखक कहते हैं, मध्यम वर्गके लोग अूचे वर्गोंकी तरह जीवन बिताते या बिताना पसन्द करते हैं। यह अुनकी दूसरी कठिनायी है।

अिन दोनों मुसीबतोंका अिलाज खास तौर पर अिसी वर्गके हाथमें है। श्री राजाजीने कुछ माह पूर्व मध्यम वर्गको यह कीमती सलाह दी थी कि अुसे दस्तकारियां या हाथ-अद्योग अपनाने चाहिये। यह भी जहरी है कि वह साक्ष जीवन बितावे। किफायतशारी भी हमारे मध्यम वर्गका अेक बड़ा गुण है, जो दुर्भाग्यसे हमारी

शहस्री अर्थ-व्यवस्थासे धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है। अिसके साथ मैं यह भी कहूँगा कि केवल सादगी ही नहीं, बल्कि सहन करने लायक हद तक कठोर जीवन भी आज सामान्य वस्तु हो जानी चाहिये — खास करके मध्यम वर्गके लिये। क्या आजके अिन कठिन दिनोंमें हम सामाजिक टीमटाम बनाये रखने और निर्यक मौज-शौककी बातोंमें निठल्ले अूचे वर्गोंकी नकल करनेमें अपना काफ़ी पैसा वरबाद नहीं कर देते? मुझे बताया गया है कि सिनेमा, शृंगारकी चीजों, तरह तरहकी फैशनवाली पोशाकों वर्गरा पर मध्यम वर्गकी गाढ़ी कमाओका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। ऐसा क्यों होना चाहिये? और अिसके लिये मध्यम वर्गके सिवा और किसे दोष दिया जाय?

अन्तमें पत्रलेखक, मालूम होता है, विलकुल निराश होकर चाहते हैं कि मध्यम वर्गको मजदूर वर्गमें मिल जाना चाहिये। किफायतशारी, कठोर या संयत जीवन, सादगी और अिनके साथ गृह-अद्योगोंको जीवनमें स्थान देनेका भेरा सुझाव अनकी अिस अिच्छाका जवाब है। मध्यम वर्गको खतम करना संभव नहीं है, क्योंकि आजकी सामाजिक रचनाका वह अेक जहरी अंग है। गड़बड़ यह है कि आज मध्यम वर्गका मुह अूचे वर्गोंकी तरफ है और पीठ गरीब मेहनतकश जनताकी तरफ। अिसके कारण, जैसा कि मैं अूपर कह चुका हूँ, वह ऐसी मुसीबतोंका शिकार होता है, जो टाली जा सकती हैं। वह अूचे वर्गोंकी नकल और खुशामद करता है तथा गरीब मजदूर वर्गको ठुकराता और अुसकी अपेक्षा करता है। अिसके कारण आज हममें अेक प्रकारकी वर्ग-विग्रहकी वृत्ति पैदा होती है। अेक दूसरी बात भी है। ऐसी वृत्ति अिस वर्गके सारे कान्तिकारी अुत्साहको मार देती है। १९४७ के पहले मध्यम वर्ग गरीबोंके भलेका ध्यान रखता था और धनिकोंके सामने अुसकी पीठ रहती थी। लेकिन आज अुसने धनिकोंकी और मुह और गरीबोंकी और पीठ कर ली है। नतीजा यह हुआ है कि देशने वह जोश और वह अुत्साह खो दिया है, जिसकी वजहसे अेक राष्ट्रके नाते हम स्वातंत्र्य-प्राप्तिका महान साहस दिखा सके। अिस जोशको खो देनेसे हमें आज भारी हानि अुठानी पड़ रही है। हम पहलेकी तरह तेजीसे अपने सच्चे स्वराज या रामराजके ध्येयकी तरफ नहीं बढ़ सकते। यह अेक राष्ट्रीय संकट है, जो स्वतंत्रता-प्राप्तिके बादका सबसे बड़ा संकट कहा जायगा।

पत्रलेखक और अुनके जरिये अेसे सब लोगोंसे, जो मध्यम वर्गके बारेमें सोचते हैं, मैं विनती करता हूँ कि वे मेरी अूपरकी बातों पर विचार करें।

१३-१०-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाऊ देसाबी

स्मरण-यात्रा	
[नचपतके कुछ संस्मरण]	
काका कलेलकर	
कीमत ३-८-०	डाकखाच ०-११-०
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद - ९	
विषय-सूची	
साम्ययोगकी व्यापक दृष्टि	पृष्ठ
विनोदा	२७३
गरीबी और बेकारी	२७४
भाषावार प्रान्तरचनाका सार	२७६
पारंडीमें भूदान-कार्य	२७६
जमीनकी अूचीसे अूची मर्यादा	२७७
हरिजन विश्वनाथजीके दर्शनसे वंचित क्यों रहे?	२७९
खान-बन्धु	२७९
मध्यम वर्ग	२८०